plementation of the various projects which are being planned in the North Eastern region, I may point out to the House that we are very much concerned about the implementation part of it. And, so far as implementation is concerned, it is actually a three-pronged effort. Firstly, the State Governmnets are concerned with them. They are responsible for some of these plan projects. They are to take responsibility for the implementation of those plan projects which are part of the State sector. This is number one. Number two is this: There is the Central Sector, and the agencies of the Central Government, who are involved directly and the Corporations concerned. They are to be responsible for the implementation of these Central Sector Projects. Thirdly, we have the North-Eastern Council Projects taken up by the North-Eastern Council as per the recommendations of the North-Eastern States. A regular monitoring is being done by all the State Governments and also by the N.E.C. The N.E.C. has got a high-power organisation to look after the NEC projects. Now, the question of law and order situation in Assam, Manipur and so on, is an important aspect, due to which the materials needed by many of these projects have been affected, because these materials could not reach the spot in time.

But now, with the recent improvement in the situation, we have asked the State Governments, including the North Eastern Council and also the various Central Sector Organisations concerned to fully gear up their activities so that all these Plans can be implemented in time. As far as the Committee of Ministers is concerned, there were many formal and informal meetings and it has been decided that many of the ongoing schemes should be expedited, the construction schedule should be expedited. For example, in the case of many of the railway lines proposed, it is expected that they should be completed by the end of the financial year 1983-84. Similarly, many of the schemes of the agricultural and horticultural sectors will be launched within this year. As far as the Loktak and Kopili projects are concerned I had an opportunity to visit Loktak very recently. Now, there is some engineering problem and because of that, the Loktak project could not be commissioned in time. A part of tunnel structure caved in a few years' back and there were many casualities. But now they have got a new tunnelling machine. I am sure the Loktak project will be commissioned in time by the end of the financial year 1981-83.

In the case of the Kopili project, about half of the funds have been utilised for that project. Regarding Silchar, I may assure the hon. Member that the Engineering College is coming up according to schedule and we will see to it and we will try to fund it accordingly.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: I am thankful to the hon. Minister for the assurances given for the completion of these projects. I would like to know whether the Makwana Committee would go further into this and submit another report on these projects. May I know from the hon. Minister whether these projects are going to be taken up as per plan and completed as per the schedule? What are the new projects the Planning Minister would consider for the North-Eastern region?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I am sure that the Makwana Committee will meet as and when necessary. There is no difficulty about it and as far as the new projects are concerned, I have listed all the new projects in my statement.

Use of Simple Hindi in Translation of Official Documents

*723. SHRI R. P. DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons as to why simple and natural Hindi is not used in the

Hindi translation of Official documents; and

(b) the steps taken by Government to make such translation popular?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हिन्दी अनुवाद के सरल तथा सुबोध भाषा में न होने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करते समय अनुवाद के शाब्दिक रूप से होने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

(2) अंग्रेजी के प्रशासनिक शब्द बहुत समय से इस्तेमाल हो रहे हैं और इस कारण आसानी से समझ में आ जाते हैं; जबकि हिन्दी की शब्दावली अभी प्रशासन में नई है और इसलिए हिन्दी के शब्द कभी कभी अस्वाभाविक से लगते हैं।

(3) मंत्रालयों आदि में काम करने वाले अनुवादकों का स्तर अच्छा नहीं है।

(ख) हिन्दी अनुवाद के स्तर में सुधार लाने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए जा रहे हैं:—

(1) विभिन्न विभागों में काम करने वाले अनुवादकों की ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया गया है। यह ट्रेनिंग केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में दी जाएगी और सभी अनुवादकों के लिए यह ट्रेनिंग लाजिमी कर दी गई है।

(2) सरकार ने यह फैसला किया है कि विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले हिन्दी कर्मचारियों और अनुवादकों की एक अलग सेवा बनायी जाए। इस सेवा के बन जाने पर इन कर्मचारियों की योग्यता, चुनाव तथा सेवा की शर्तों में एकरूपता लायी जा सकेगी, जिससे कि अनुवादकों का स्तर सुधरेगा।

(3) सुरकार की बराबर यह कोशिश रही है कि सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद में सरल और स्वाभाविक हिन्दी को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने इस विषय में समय समय पर आदेश भी जारी किए हैं कि हिन्दी के सुबोध शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और अंग्रेजी के नामों तथा शब्दों का बनावटी अनुवाद करने की कोशिश न की जाए। सरकार अपनी नीति पर बराबर जोर देती रहेगी जिससे कि हिन्दी अनुवाद अधिक से अधिक सरल और स्वाभाविक हो सके। यह आशा की जाती है कि अनुवादकों का स्तर सुधारने पर सरकार के इन आदेशों की पूर्ति हो सकेगी; परन्तु यदि अनुवाद का स्तर फिर भी नहीं सुधरा तो सरकार इस बारे में कदम उठाने पर विचार करगी।

SHRI R. P. DAS: The statement laid on the Table will show to what extent love for English is there. But our Prime Minister has said that Hindi should be developed. Sir, I am of the firm opinion that it is because of the love for English that Hindi as well as other regional languages, could not flourish or occupy its prestigious position in official correspondence and documentations and also in the deliberations on serious and important matters. The neglect and apathy of these leaders have reduced Hindi and the regional languages to a position inferior to English. Under the circumstances, only a cultural revolution can change the position and make these leaders feel and realise the need for elevating the position of Hindi and other regional languages as per the Constitution.

In this context, I would like to know whether a separate cadre of translators is going to be formed by the Government with a view to attracting men of calibre with good academic attainments and experience. I would also like to know whether there is any proposal for revision of the present pay-scales of the translators which are not only poor and inadequate, but have failed in attracting men of high calibre.

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने सप्लीमेंटरी में एक भी शब्द हिन्दी का इस्तेमाल नहीं किया हैं जबकि यह सवाल हिन्दी के प्रति था । अब सवाल का जवाब तो देना ही है । उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और साथ साथ यह भी कहा है कि हिन्दी और क्षेत्रीय भाषायें जो हैं वह पनप नहीं सकीं और अंग्रेजी की प्राथमिकता अभी तक चली आती है । रहनुमाओं को देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर ध्यान दिया जाए ताकि हिन्दी अपना स्थान ले सके और जो प्रान्तीय भाषायें हैं वह भी अपना स्थान ले सकें । जहां तक हिन्दी के इस्तेमाल का सम्बन्ध है इसके लिए मैं ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि हम उपाय कर रहे हैं । इसके पहले भी उपाय किए गए थे । सन् 1976 में एक सर्कुलर जारी किया गया था कि मूल रूप में जो मस्विदा तैयार किया जाए वह कोशिश करें कि हिन्दी में हो और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो, न कि अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी में हो । जब तक यह बात नहीं चलती है तब तक हिन्दी को प्राथमिकता नहीं मिलती । तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं । अलाहदा एक सेवा बनाई गई है, एक काडर बनाया है ताकि एफीशिएन्ट पर्सन्स आने के लिए तैयार हों और वे लोग आकर इस मामले पर सोच सकें ।

स्पीकर साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का लफ्ज ब लफ्ज हिन्दी में ट्रांसलेशन किया जाए तो उसमें हिन्दी के व्याकरण की बात रहती नहीं है । यह शिकायत हमको भी है और आपको भी शिकायत है और इसको दूर किया जाना चाहिए । लेकिन आनरेबल मेम्बर से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह रुकावट किसी की नहीं है, यह रुकावट है अवाम की, हमारे आनरेबल मेम्बरान की, जोकि हिन्दी के प्रश्न पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं ।

बाकी आनरेबल मेम्बर ने जो सजेशन दिया है उसको हमने नोट कर लिया है : ....(*Interruptions*)

SHRI R. P. DAS: Sir, literal translation is not enough to solve the problem. For example, in Hindi, the equivalent of airport is hawai adda. This is one of the most unpopular and bad equivalents.

In view of this, I would like to know whether the Government consider it necessary to form a high power standing committee with linguists of the country to conduct a survey of the Hindi equivalents of scientific technical and other important terms of various disciplines so far translated and find out suitable equivalents of such terms which would necessarily reflect the inner strength and the very genius of the language and give fullest expression to the environmental, psychological, social and cultural content of the language.

श्री जैल सिंह : आनरेबल मेम्बर को पता होना चाहिए कि हर एक ऐक्ट का अनुवाद पहले हिन्दी में किया जाता है आनरेबल मेम्बर का जो यह ख्याल है कि कोई और कमेटी बनाई जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है । पहले ही बहुत कमेटियां बनी हुई हैं, हिंदी के मामले पर, और एक कमेटी ऐसी भी बनी है जो हाउस की कमेटी है और बहुत बड़ी

कमेटी है । उस कमेटी ने जाकर विदेशों में भी और यहां भी इस बात का अध्ययन किया है कि कैसे इसको किया जाए । (व्यवधान) लोगों को तो इस बात की शिकायत है कि कमेटियों पर ज्यादा खर्चा होता है इसलिए मैं समझता हूं और कमेटी की कोई जरुरत नहीं है ।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह हिन्दी सलाहकार समिति जो है, इसकी कभी बैठक हुई है ? दूसरा उसी के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि. .

अध्यक्ष महोदय : एक ही कर लीजिए ।

श्री राम नगीना मिश्र : एक-एक करके "अ" "ब" "स" । "अ" मैंने कर दिया है । उसमें "ब" यह है कि मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो हिन्दी में अनुवाद होते हैं, गांधी जी का यह विचार था कि भाषा हिन्दी हो, लिपि नागरी हो, तो क्या वे ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि जो हिन्दी में अनुवाद हो, वह बोल चाल की भाषा में हों, सरल हो और उसमें संस्कृत के ऐसे शब्द न हो जो अंग्रेजी से क्लिष्ट मालूम हों ?

श्री जैल सिंह : अध्यक्ष जी, इनके दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि क्या मीटिंग हुई है ? मीटिंग हो चुकी है और जहां तक मेरी याद्दाश्त काम करती है, उनकी दो मीटिंग्स हो चुकी हैं । दूसरी बात उनकी यह कि जो हिन्दी में अनुवाद हो वह देवनागरी लिपि में सरल भाषा में होना चाहिए । मैं पहले भी विनति कर चुका हूं कि हम इस बात का भरपूर यत्न कर रहे हैं कि सरल हिन्दी भाषा हो । मगर इसके लिए जरुरी है कि हमको कान्स्टीचूशन के इरादे को पूरा करने के लिए प्राथमिकता हिन्दी को देनी चाहिए सरकारी कारोबार में, भाषा में और दायित्व में । यहां पर जो बातचीत होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वह बात हिन्दी की हो, लेकिन बोलते हैं अंग्रजी में—इसलिए इसमें आपको कोआपरेशन देना चाहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मुझ अफसोस है, इस सवाल पर कि गांधी जी के नाम को हम सभी लोग लेते हैं । गांधी जी जब हिन्दू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो विश्वविद्यालय के बजाय अंग्रेजी के अन्दर वहां पर लिखा हुआ था और टांगे वाले ने कहा था कि "विसविद्यालय' चलें । तो उन्होंने कहा वाकई अंग्रेजी भाषा से भारत की हिन्दी भाषा की जबान काटी जाती है । यह विस है विश्वविद्यालय नहीं है, विश्वविद्यालय है । मैं आपके माध्यम से घर मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कम से कम हिन्दी भाषा, अपनी जो राष्ट्र भाषा है, उसके क्या सरकार तीन-चार बातों को मिलाकर, जैसे प्रचलित शब्द हैं, चाहे उर्दू के आ गए, चाहे अंग्रेजी के आ गए, जैसे रेलगाड़ी आदि । जो ऐसे शब्द हैं, उनकी हिन्दी भाषा जमाय और अगर ज्ञानी जी कहते हैं कि भरपूर कोशिश करते हैं, यह इतना लंबा** है, जिस का कोई सत्य नहीं है । आप बताइए. . (व्यवधान) . . बिल्कुल** है, मैं इस शब्द को कहूंगा—**है । हिन्दी के साथ अन्याय किया है, मातृभाषा के साथ अन्याय किया है** (व्यवधान) **बिल्कुल है, असत्य है, सत्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बस करिए ।

श्री मनीराम बागड़ी: अध्यक्ष जी, बस करने की बात नहीं है । संविधान की हत्या हुई है । ज्ञानी जी जैसे लोग जिनका हित भी इस बात में है, जो कि अंग्रेजी भी कम जानते

**Expunged as ordered by the Chair.

हैं . . (**व्यवधान**) . . अध्यक्ष जी आप कैसी बात करते हैं । संविधान की हत्या की गई है । भारत की जबान काटी गई है । प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए . . (**व्यवधान**) . . क्या भरपूर कोशिश की हैं, वे जरा बताइए । भरपूर कोशिशें क्या हैं . . (**व्यवधान**) . . हां, हम भाषण में करेंगे . . (**व्यवधान**) . . बैठाने वाला है, कौन बोल रहा है, **जैसे** बहुत आए हैं ।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, अनारेबिल बागड़ी जी ने यह लफ्ज कह कर के ज्यादती की है हमारे साथ अन्याय किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आज आप बहुत सुन्दर हिन्दी बोल रहे हैं ।

श्री जैल सिंह : अन्याय किया है । जो हमने कहा वह** है, तो पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में**कहना ठीक नहीं है । कहना यह चाहिए था कि यह सच नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द तो अन-पार्लियामेंटरी है ही ।

श्री जैल सिंह : जो सर्कुलर 1976 में जारी हुआ था उस में यह हिदायत की गई थी--मैं उस का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं--"आधुनिक यन्त्रों, तरह-तरह के पुर्जों और नये जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी नाम प्रचलित है, उन के कृत्रिम अनुवाद करने के बजाय उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में होगा । जैस-जैसे लोग हिन्दी में दक्ष होते जायेंगे वैसे-वैसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत शब्द अपने आप प्रचलित होते चले जायेंगे . .

प्रो. मधु दण्डवते : हमें हिन्दी का भी हिन्दी अनुवाद चाहिये ।

श्री जैल सिंह : जब मैं यह पढ़ रहा था तो मैंने खुद भी इस को टिक-मार्क किया हुआ था । मैंने देखा--जब यह हिदायत की गई है कि सरल हिन्दी लिखो, लेकिन हिदायत करने वाले ने खुद अपने खत में जो लिखा है वह भी सरल हिन्दी नहीं है--यह मैं मानता हूं । यह सैक्रेटरी का एक लैटर है, इस को आप बरदाश्त कर लें क्योंकि यह बहुत पुराना है, अब इस का अमेंडमेंट नहीं हो सकता . . (**व्यवधान**) . . हिन्दी लिखते वक्त हिन्दी ही लिखने की कोशिश करें, न वह संस्कृत हो और न देवनागरी लिपि में अंग्रेजी हो । कहने का मतलब यह है कि हिन्दी वाक्य उस के न्यास, उस की प्रकृति के अनुसार होना चाहिये । यह ठीक नहीं होगा कि यह संस्कृत के दुरुह समास पदों की लड़ी हो जाय, अंग्रेजी मूल का अपपटा अनुवाद मात्र हो जाय । . . (**व्यवधान**) . .

श्री मनीराम बागड़ी : मातृभाषा का इस से ज्यादा अपमान , जो आज इस तरीके से हिन्दी के साथ किया जा रहा है, कभी नहीं हुआ है । इस तरह से कभी भी इस भाषा का सम्मान नहीं बढ़ेगा, इस भाषा का मजाक हो रहा है । हाउस में जो पढ़ा जा रहा है (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह खुले-आम राष्ट्र भाषा का अपमान किया जा रहा है । . . (**व्यवधान**) . .

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, यहां सरल हिन्दी की बात चल रही है लेकिन जो हिन्दी वह पढ़ रहे हैं और जिस पदाधिकारी ने वह ड्राफ्ट बना कर दिया है जिस को होम मिनिस्टर साहब पढ़ भी नहीं पा रहे हैं . . (**व्यवधान**) . .

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात नहीं है । . . (**व्यवधान**) . . यह हिन्दी भाषा का अपमान किया जा रहा है, यह अपमान बरदाश्त नहीं किया जायगा ।

**Expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ? सुनते क्यों नहीं, खुद ही बोले चले जा रहे हैं। वह पुराना पत्र पढ़ कर सुना रहे हैं..

श्री मनीराम बागड़ी : कुछ भी पढ़ें, लेकिन यह भाषा का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी कोई अच्छी भाषा नहीं है, जिस का कोई भी अपमान कर सके। यह गलत बात है..

श्री मनीराम बागड़ी : ये अंग्रेजी भाषा के गुलाम..ये राष्ट्र भाषा का अपमान कर रहे हैं..**

अध्यक्ष महोदय : गलत बात है। Nothing is going on record. इस तरह से नहीं चल सकता है। क्या हिन्दी इतनी छोटी हो गई है कि उस का अपमान हो जायेगा। कोई गलत बोल सकता है, अशुद्ध उच्चारण हो सकता है, लेकिन अपमान कोई नहीं कर सकता। आप जब अशुद्ध भाषा बोलते हैं तो क्या वह भाषा का अपमान है ? वह हमारी गलती है। No, I am not going to allow.

श्री मनीराम बागड़ी : मैं यह सवाल नहीं कर रहा हूं..

MR. SPEAKER: I will allow one by one. Dr. Karan Singh has been allowed.

श्री मनीराम बागड़ी : मैं व्यवस्था चाहता हूं। आप ने फिर ग़लत ढंग से पेश कर दिया है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई ग़लत ढंग से पेश नहीं किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप ने यह कहा कि कोई शब्द ग़लत ढंग से पढ़े तो उस का मतलब यह नहीं है कि वह अपमान है। मुझे यह आपत्ति नहीं है। ज्ञानी जी कोई शब्द ग़लत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं, मुझे यह आपत्ति नहीं है। मुझे यह आपत्ति है कि जब हिन्दी के बारे में इस ढंग से बात आये, जिससे सदन में हंसी हो और प्रेस के अंग्रेजीवादी हंसी करें, यह मातृभाषा का अपमान है, प्रधान मंत्री को इसके बारे में बोलना चाहिये। (**व्यवधान**) हिन्दी भाषा की ज़बान काटी जा रही है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ? यह मातृभाषा का अपमान है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र प्रश्न यह है कि जो राजकीय पत्र हैं, आफिशियल डाक्युमैंट्स हैं, इनमें सरल हिन्दी का उपयोग हो या न हो, मेरी प्रार्थना है कि जब अंग्रेजी के पत्र लिखे जाते हैं, उसमें बेसिक इंग्लिश का प्रयोग नहीं होता, उसमें सही अंग्रेजी का प्रयोग होता है, तो जो भी इस तरह के पत्र हों उसमें सही हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये, उसको बिलकुल सरल बनाकर और हिन्दी को गलत रूप में भी प्रेरित नहीं करना चाहिये। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जहां तक सरलता का प्रश्न है, हम सब साथ हैं, लेकिन सरलता करते-करते ऐसा न हो कि उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाये ? हिन्दी एक बड़ी सुन्दर भाषा है, एक राष्ट्र भाषा है, विश्व भाषा है उसका जो स्वरूप है उसको भी ज़हन में रखा जाना चाहिये और तभी यह पत्र आने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना सवाल ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, यह जो कहा गया था कि हिन्दी का अपमान करते हैं, (**व्यवधान**)

** Not recorded.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, वह कह रहे हैं कुछ और, और यह कह रहे हैं कि अपमान किया जा रहा है ।

श्री जैल सिंह : आप कह रहे हैं कि हिन्दी का अपमान किया जा रहा है । डाक्टर साहब ने तो एक यथार्थ बात कही है ।

श्री जगपाल सिंह: आप किस के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ? बागड़ी जी के प्रश्न का या डाक्टर साहब के प्रश्न का ?

श्री जैल सिंह : डाक्टर साहब ने यथार्थ बात कही है, एक सैजशचन दी है, एक अच्छी तजवीज दी है, उस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिये । बागड़ी जी कह रहे थे कि हिन्दी का अपमान हो रहा है । हिन्दी का अपमान बिल्कुल नहीं हो रहा ।

मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हिन्दी को अपना पूरा स्थान देने के लिये, पूरा सम्मान देने के लिये निहायत जरूरी है कि अंग्रेजी से पहले हिन्दी का इस्तेमाल किया जाये, हिन्दी का प्रयोग पहले किया जाये । यह तभी होगा जब उसके साथ अवाम की को-आपरेशन हो, हर मेम्बर भी इस बात को सोचें । वह अपने आप को फ्लुएंटली और रवानी में इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिन्दी में नहीं बोल सकते हैं, वह कभी हिन्दी बोलते ही नहीं । वह क्यों नहीं हिन्दी में बोलते हैं । मेरी मेम्बरों से भी प्रार्थना है कि वह हिन्दी में भी बोलें ।

प्रधान मंत्री जी की प्रधानता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया था कि हिन्दी को और उसके साथ-साथ उर्दू को भी और दूसरी भाषाओं को भी बढ़ावा देने के लिये उपाय किये जाये ।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह बहुत आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आपत्तिजनक क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : अपने लिखित जवाब में उन्होंने कहा है कि हिन्दी की शब्दावली प्रशासन में अभी नयी है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब अंग्रेज 200, 250 वर्ष पहले यहां आये तो उस समय इस देश की जबान क्या थी ? जस समय भी हिन्दी में काम चलता था या नहीं ? जब अंग्रेज आये थे तो उन्होंने कब आपसे पूछा कि अंग्रेजी चाहिये या हिन्दी? उन्होंने अंग्रेजी लागू कर दी ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब भी आपका जो संशोधित कांस्टीट्यूशन है वह भी हिन्दी में नहीं है । संविधान की संशोधित प्रति हिन्दी में उपलब्ध नहीं है । अभी उसका अनुवाद किया जा रहा है । आपने 1961 में आफिशियल लैंगुएज एक्ट लागू किया संविधान की मंशा थी कि 10 साल में अंग्रेजी समाप्त हो जायेगी और हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेगी, लेकिन प्रधान मंत्री जी भाषा के सवाल पर साउथ में कुछ बोलती हैं और नार्थ में कुछ बोलती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की भाषा के सम्बन्ध में क्या नीति है ? यदि आफिशियल लैंगुएज का कोई उल्लंघन करता है और जो आप ने कहा है, उस का पालन नहीं करता है, तो क्या उस के लिए भी आप दंड का विधान रखेंगे ?

श्री मनीराम बागड़ी : प्रधान मंत्री जी, जरा खड़े होकर बता दो ।

प्रधान मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी): मैं पूरे प्रश्न का उत्तर देने नहीं उठी हूं मेरा नाम इन्होंने लिया है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं कभी एक बात इधर की या एक बात उधर की नहीं कहती हूं । मैंने एक ही बात कही

है चाहे यहां इस सदन में कहीं है और सदन के बाहर भी कहीं है उत्तर भारत में भी कहीं है और दक्षिण भारत में भी कहीं है और वह यह है कि हम सब चाहते हैं कि हिन्दी आगे बढ़े। हिन्दी किस प्रकार की हो वह सब को मिल कर निर्णय करना है। मुझे बहुत शुद्ध हिन्दी नहीं आती है। इसलिए मेरी इच्छा होगी कि सरल हिन्दी हो लेकिन संग संग जो दूसरे लोग हैं चाहे महाराष्ट्र में हैं चाहे गुजरात में हैं और चाहे मलयालम बोलते हैं उनको दूसरी हिन्दी ज्यादा सरल पड़ती है जिस में संस्कृत के शब्द हों। इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। इतने बड़े देश में हम रहते हैं तो जरा संतुलन बीच में से निकालना चाहिए। यह भी सच है मुझे याद नहीं अभी किसी ने यहां पर कहा था कि बहुत से दूसरे देश हैं जो कई ऐसे शब्द अपना रहे हैं विशेषकर साइंस में जो चाहे अंग्रेजी से शुरु हुए हों या जर्मन के हों या किसी और भाषा के हों तो ये शब्द अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं इसलिए इस चीज में हमें बहुत कठोर लकीर नहीं बनानी चाहिए उस में जरा देखना चाहिए जैसा कि स्वयं बागड़ी जी ने कहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सब जिलों पर बिल्कुल एक सा उच्चारण नहीं है। हम जहां से आते हैं, वहां एक प्रकार की बोली है लेकिन उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में या बिहार में थोड़ी दूसरे प्रकार की है। अब कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि अहिस्ता अहिस्ता इस पर एक मिश्रण हो और एक ऊंची भाषा बने इस में से निकले। हिन्दी के पक्ष में हम सब लोग हैं लेकिन संग-संग यहां मैं ने यह कहा है, दक्षिण में कहा है और अब फिर यहां कह रही हूं कि यह ठीक नहीं होगा कि हिन्दी या कोई दूसरी भाषा हम किसी के ऊपर थोप दें। यह मैंने जरूर कहा है और इस को मैं दोहरा देती हूं। इस से हमारे दक्षिण के भाई और हमारे पूर्वी हिस्से के भाई, जो सामने बैठे हुए हैं, इन को केवल परेशानी ही नहीं होती है बल्कि उनमें एक ऐसा रीएक्शन भी होता है कि जो थोड़ी बहुत सीखता भी है, उसको भी वे रोक देते हैं। इसलिए हिन्दी के हित में भी यह है कि हम कोशिश करें और लोगों की रुचि इसमें बढ़ाएं कि वे स्वयं इस को सीखें बजाय हमारे ज़बरदस्ती यह कहने के कि आप को यह सीखनी है। यह हमारी नीति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सब को तो मैं टाइम नहीं दे सकता। आपको भी टाइम मिलता है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 542 सदस्य जो हैं उन सब को एक दम टाइम दे दूं। उनको मैं टाइम नहीं दे सकता, बारी-बारी टाइम देता हूं।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Mr. Speaker, Sir, what the hon. Prime Minister said is important. But what I want to ask, through you is this. It is true that Hindi will not be imposed. But what is happening today is, the balance is definitely towards the persons who know Hindi or English. The persons who are efficient in their regional language are discriminated against, particularly because of their lack of knowledge of Hindi or English. Is the Government ready to declare equality all languages and provide equal opportunity to all of them?

श्री जैल सिंह: स्पीकर साहब, इस में तो गवर्नमैन्ट की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वह इक्युअल अपोर्चूनिटी सब भाषाओं को सीखने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए देती है और इस में पूरा पूरा यत्न कर रहे हैं कि बैलेन्स रखा जाए और किसी को इस बात के लिए कष्ट न हो, मगर छोटी छोटी बातों में हम समय नष्ट कर देते हैं जैसे हर एक का प्रोनेन्शियेशन एक भाषा में एक सा नहीं है एक प्रान्त वाले का दूसरे

प्रान्त वाले से प्रोनेन्शियेसन नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लेकिन उस में भी हम यह सोचते हैं कि यह शुद्ध हिन्दी नहीं है, यह अंग्रेजी गलत है और वह गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस मामले में बिल्कुल एक पुख्ता इरादा रखती है कि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान मिल जाए, मगर किसी भी इलाके को, किसी भी प्रान्त के ऐसे इलाके को, जहां लोगों का हिन्दी सीखना मुश्किल है, उन को हम मजबूर नहीं करना चाहते और उन के जजबात को हम कद्र करते हैं। इसीलिए यह फैसला किया गया है कि जब तक एक भी प्रान्त इस बात को नहीं मानेगा, तब तक हम वहां इस को लागू नहीं करेंगे।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष जी, यह जो हिन्दी के बारे में चल रहा है मैं देखती हूं कि जितनी भी हमारे पास कार्यवाही जाती है वह सब अंग्रेजी में जाती है। यह निकाला भी गया है कि वह हिन्दी में जानी चाहिए किंतु आज तक हमारे पास कार्यवाही हिन्दी में नहीं गयी है, वह अंग्रेजी में जाती है। जितने भी पट्ट लगे हुए हैं, दुकानों में, कार्यालयों में, वे अंग्रेजी में लगे हुए हैं। क्या वे हिन्दी में नहीं लग सकते हैं? क्या दुकानों और कार्यालयों में पट्ट अंग्रेजी में ही पढ़े जाते हैं, क्या वे हिन्दी में नहीं पढ़े जा सकते हैं? आप दुकानों पर और कार्यालयों में अंग्रेजी में पट्टे क्यों लगाते हैं जबकि अपनी मातृभाषा हिन्दी हो गयी है? मैं यह जानना चाहती हूं कि हिन्दी में ही क्यों न ही काम चल रहा है?

श्री जैल सिंह: मील के पत्थरों पर और दफ्तरों में भी दोनों भाषाओं में बोर्ड लगाये जाते हैं।

Development of Western Ghats

*724. SHRI S. B. SIDNAL: Will the Minister of PLANNING be pleased to lay a statement showing:

(a) whether it is a fact that an integrated long term plan for the development of the Western Ghats had been preapred;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total money to be spent on this scheme; (i) by the States concerned, (ii) by the Central Government, (iii) from the funds of the World Bank;

(d) whether any special measures will be adopted to give priority to environmental conservation and preservation of ecology while implementing the projects; and

(e) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (e). A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). No, Sir. However, a programme for the Western Ghats region falling in the States of Maharashtra, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and Union Territory of Goa is in operation since 1974-75 and is approved on yearly basis.

(c) A Special Central Assistance of Rs. 75 crores has been allocated for the programme during the Sixth Five Year Plan as against Rs. 20 crores in the Fifth Plan.

The informaion on flow of funds to the area from State Plan resources as well as information on the magnitude of World Bank funds, if any, likely to flow to this region are not available, as the sub-plan approach is not being followed in the case of Western Ghats Programme.